# पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 201/2024 दिनांक- 26.06.2024

**थाना- मेंहनगर**

**फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 02.11.2023 की वादिनी मुकदमा गीता पत्नी रामसरन वर्मा ग्राम पंचायत करौती प्रधान मेहनगर आजमगढ़ की तहरीरी सूचना कि ग्राम पंचायत करौती के आ0नं0 911 मि0 सम्पूर्ण रकबा 18.595 एकड़ है जिसमे ग्राम सभा के साथ तमाम सहखातेदारन है उक्त आराजी मे कतिपय लोगो ने जिसमे पंचदेव पुत्र दरवारी ग्राम कुढापार थाना मेहनगर व राजेश पुत्र रामरूप ग्राम करौती के द्वारा फर्जी व जालसाजी दस्तावेज के सहारे धारा 80 में धोखाधडी व कुटरचित दस्तावेज तैयार करके पेट्रोल पम्प बनाने की नियत से आराजी का भमिधर रामरूप पुत्र स्व0 रामधारी जिला कारागार मे बन्द था जिसकी मिली भगत से उपजिलाधिकारी न्यायालय मे रामरूप पुत्र रामधारी के नाम से कृषक से अकृषक करने के लिए दावा दाखिल किया जिसमे भूमिधर के नाम स्थान पर पंचदेव पुत्र दरवारी द्वारा हस्ताक्षर बनाया गया व कृषक की भूमि पर भूमिधर के बजाय राजेश पुत्र रामरूप का फोटो लगाया गया है। इसके बाद सह खातेदारान मे सहमतिशपथ पत्र मे मृतक चिन्ता देवी पत्नी हरिचरन (2) मृतक सतीश पुत्र दनदन उर्फ रमानन्द का लगाया गया तथा फर्जी हस्ताक्षर के शपथ पत्र अनिल व सोनी देवी का लगाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर साजिशन लाभ लिया गया है। जिसमे दोषी पंचदेव पुत्र दरवारी (2) राजेश पुत्र रामरूप ( 3) रामरूप पुत्र रामधारी के मिली भगत से फर्जी दस्तावेज लगाकर लाभ लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 471/2023 धारा 419/420/467/468/471/120B IPC बनाम 1.पंचदेव पुत्र दरबारी, 2.राजेश पुत्र रामरुप, 3.रामरूप पुत्र रामधारी के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 27.06.2024 को उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचनना से प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्त.तेजप्रताप सिंह पुत्र गौरी शंकर सा0 बीबीपुर थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ 2.रामरूप पुत्र रामधारी सा0 करौती थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को समय 10.00 बजे कुशमुलिया मोड़ बहद ग्राम कुशमुलिया से गिरफ्तार किया गया

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 471/2023 धारा 419/420/467/468/471/120B IPC थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.तेजप्रताप सिंह पुत्र गौरी शंकर सा0 बीबीपुर थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

2.रामरूप पुत्र रामधारी सा0 करौती थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0 102/2023 धारा 419/420/467/468/471/120B IPC थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ बनाम रामरूप उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – - उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह का0 जयकिशन , का0 हीरालाल थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

**थाना फूलपुर**

**चोरी गये सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार**

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 26.06.24 को वादी मुकदमा हसीबुद्दीन पुत्र सहाबुद्दीन साकिन चितरावल पो0 मुडियार थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 22-06-2024 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा निर्माणाधीन मकान से समरसेबुल चुरा ले गये, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 361/24 धारा 379 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात चोर नाम पता अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना गौतम कुमार सरोज द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 27.06.2024 को उ0नि0 गौतम कुमार सरोज मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अनुज कुमार उर्फ बबलू पुत्र रमाशंकर निवासी खानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को दुर्वाषा धाम मन्दिर गेट से समय करीब 09.05 बजे सुबह मय माल एक प्लास्टिक का बोरी में एक समरसेबुल जो 03 फीट लम्बा पाईप स्टील का लगा हुआ व उसपर KOEI अग्रेजी में व 1 से 3 हार्स पावर में लिखा हुआ बरामद हुआ। अभियुक्त अनुज कुमार उर्फ बबलू पुत्र रमाशंकर उपरोक्त को मु0अ0सं0 361/2024 धारा 379/411 भादवि का अपराध बताकर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 361/2024 धारा 379 भादवि बढ़ोत्तरी धारा 411 भा0द0वि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-अनुज कुमार उर्फ बबलू पुत्र रमाशंकर निवासी खानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1- एक प्लास्टिक का बोरी में एक समरसेबुल जो 03 फीट लम्बा पाईप स्टील

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 गौतम कुमार सरोज मय हमराह दयाशंकर यादव व का0 शुभम मिश्रा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

## थाना फूलपुर

## चोरी गये सामान, अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 27.06.24 को उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान हनुमान मन्दिर गेट ग्राम मनरा से अभियुक्त ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ ज्ञानू पुत्र स्व0 शोभनाथ यादव निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 03.45 बजे सुबह में एक नाजायज तमंचा 315 वोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 वोर व 02 मोबाइल चोरी का जिसमे एक समसंग धानी कलर व एक समसंग गलेक्सी A.20 4G नीला कलर सम्बन्धित मु0अ0सं0 358/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 व 02 सफेद व पीली धातू के मुकुट व 1235 रुपये नकद सम्बन्धित मु0अ0सं0 340/24 धारा 382,383,457,411 भा0द0वि0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध बताकर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ ज्ञानू पुत्र स्व0 शोभनाथ यादव निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1-एक नाजायज तमंचा 315 वोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 वोर

2- 02 मोबाइल चोरी का जिसमे एक समसंग धानी कलर व एक समसंग गलेक्सी A.20 4G नीला कलर

3- 02 सफेद व पीली धातू के मुकुट व 1235 रुपये नकद।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 364/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 358/24 धारा 379/411 भा0द0वि0, थाना फूलपुर आजमगढ़

2-मु0अ0सं0 340/24 धारा 382,383,457,411 भा0द0वि0 थाना फूलपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ ज्ञानू पुत्र स्व0 शोभनाथ यादव निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 41 वर्ष।

| क्र0सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 364/2024 | 3/25 आर्म्स एक्ट | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 2. | 358/2024 | 379/411 भा0द0वि0 | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 3. | 340/2024 | 382,383,457,411 भा0द0वि0 | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 4. | 234/2020 | 8/20 NDPS ACT | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 5. | 135/2016 | 41, 411 भा0द0वि0 | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 6. | 52/2019 | 8/20 NDPS ACT | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 7. | 356/2022 | 3/25 आर्म्स एक्ट | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 8. | 355/2022 | 411, 414, 420, 473 भा0द0वि0 | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 9. | 350/2022 | 379/411 भा0द0वि0 | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 10. | 178/2021 | 272,273 भा0द0वि0 व 60(1) आबकारी अधि0 | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 11. | 59/2016 | 392/411 भा0द0वि0 | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 12. | 51/2019 | 3/25 आर्म्स एक्ट | फूलपुर | आजमगढ़ |
| 13. | 15/2018 | 174A भा0द0वि0 | फूलपुर | आजमगढ़ |

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह का0 अरविन्द तिवारी व का0 वीरेन्द्र यादव

## थाना – अहरौला

## अपहरण के अभियोग में एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

घटना का पूर्व का विवरण-

वादी मुकदमा थाना –अहरौला जनपद-आजमगढ़ के लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर विपक्षी एक बाल अपचारी द्वारा वादी के घर से प्रार्थी की लड़की (उम्र करीब 17 वर्ष) को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0290/24 धारा 363/366 भादवि दिनांक घटना 15.06.24 बनाम एक बाल अपचारी थाना –अहरौला जनपद-आजमगढ़ के विरूद्ध बतफ्तीसी मुकदमा की विवेचना उ0नि0 नितेश कुमार चौबे को पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 27.06.2024 को उ0नि0 नितेश कुमार चौबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को गहजी बाजार के पास पुलिस अभियरक्षा में लिया गया।तथा बाद पुलिस कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद बाल अपचारी मऊ भेजा गया।

## थाना सरायमीर

## चोरी गये सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ इतिहास की विवरण संक्षेप में –

दिनांक 26.06.2024 को वादी मुकदमा अमरजीत यादव पुत्र रामअवध यादव निवासी अहमदाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 26.06.2024 को भोर मे अपने घर से मिर्जापुर बाजार मे अपने दूकान पर गये तो देखे कि उनका समरसेबल व तार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है जिसमे अमरजीत यादव के तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 313/2024 धारा 379 भादवि वनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 27.06.2024 को उ0नि0 अशोक कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उउपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 1.इन्द्रेश कुमार पुत्र श्रीराम निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद ,जनपद आजमगढ उम्र 23 वर्ष 2. चन्द्रभान कुमार पुत्र जियालाल निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद ,जनपद आजमगढ उम्र 24 वर्ष को बीनापारा व खपड़ागाव के मध्य स्थित पुलिया के पास चोरी गये समरसेबल के साथ समय करीब 03.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 366/24 धारा 411/34 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरणः- 01 समरसेबल (बोरवेल पम्प)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इन्द्रेश कुमार पुत्र श्रीराम निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद ,जनपद आजमगढ उम्र 23 वर्ष।
2. चन्द्रभान कुमार पुत्र जियालाल निवासी मिर्जापुर थाना निजामाबाद ,जनपद आजमगढ उम्र 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 313/24 धारा 379 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अशोक कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

## थाना निजामाबाद

## किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

- दिनांक 17.03.2024 को वादिनी की नाबालिग लड़की को अभियुक्त सतीश उर्फ चूटा पुत्र नागेन्द्र मौर्य निवासी बुदैढ़ा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बहला फुसला कर अगवा कर लिया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 01.04.2024 को मु0अ0स0 133/24 धारा 363/366 IPC बनाम सतीश उर्फ चूटा पुत्र नागेन्द्र मौर्य निवासी बुदैढ़ा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पंजीकृत करवाया। विवेचना के दौरान बयान वादिनी, मेडिकल रिपोर्ट, बयानात गवाहान, अवलोकन जाति प्रमाण-पत्र से धारा 376 भादवि व 3/4(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT की बढ़ोत्तरी की गयी। विवेचना व आवश्यक कार्यवाही हेतु उ0नि0 मो0 शमाशाद खां को दिया गया।

दिनांक 20.05.2024 को अपहृता को बरामद करने के पश्चात पीड़िता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, साक्ष्य संकलन से धारा 376 भादवि व 3/4(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT की बढ़ोत्तरी की गयी व विवेचना सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी सदर शुभम अग्रवाल द्वारा ग्रहण किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 27.06.24 को उ0नि0 मो0 शमाशाद खां मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सतीश मौर्या उर्फ चुटा पुत्र नागेन्द्र मौर्य निवासी बुदैठा थाना सिधारी जनपद आजगमढ को रईश गंज बाजार से समय करीब 7.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।गिरफ्तार अभियुक्त का चालान कर मा0 न्यायालय / जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त - सतीश मौर्या उर्फ चुटा पुत्र नागेन्द्र मौर्य निवासी बुदैठा थाना सिधारी जनपद आजगमढ

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0स0 133/24 धारा -363,366,376 भादवि व 3/4(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)v SC/ST ACT थाना निजामाबाद आजगमढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः 1. उ0नि0 मो0 शमाशाद खां 2. का0 धर्मेन्द्र सिंह 3. का0 सुजीत कुमार थाना निजामाबाद आजगमढ

## थाना देवगांव

## चोरी की कई घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

आवेदक तनमय राय पुत्र रणजीत राय सा0 खेमकरनपुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ के द्वारा दिनांक 10.06.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत दिनांक 10.06.2024 को दो व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP50BS0906 को त्रिवेणी अस्पताल के सामने से चुरा लेने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिल तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 225/2024 धारा 379 भादवि में पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 विनोद कुमार सिंह थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा संपादित किया जा रहा है।

तथा आवेदक प्रिन्स राय पुत्र श्रीराजरूप राय राम वार्ड नम्बर 3 संत कबीरनगर थाना मेहनगर जिला आजमगढ के दिनांक 08.05.2024 को प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 08.05.2024 को आवेदक की मोटर साईकिल हिरो ग्लेमर रंग काला रजिस्टर नम्बर UP50-CH7388 को कैथीशंकरपुर पुल से 03 व्यक्ति अज्ञात द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 174/2024 धारा 379 भादवि में पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना उ0नि0 विनोद कुमार सिंह थाना देवगांव, आजमगढ़ द्वारा संपादित किया जा रहा है

तथा आवेदक आफताब आलम पुत्र जहीर अहमद निवासी वार्ड नं0 4, कटघर लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़ के द्वारा दिनांक 31.05.2024 को प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 25.05.2024 को अज्ञात चोर द्वारा कोटा बुजुर्ग से आवेदक की मोटर साइकिल HF DELUXE जिसका नंबर UP 50 AE 9947 को चुरा लेने के संबंध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 214/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। जिसकी विवेचना उ0नि0 सुल्तान सिंह चौकी प्रभारी पल्हना थाना देवगांव, आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 26.06.2024 को उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हाईडील तिराहा लालगंज से मोटर साइकिल सवार दो व्यक्ति को पकड़ लिया गया। अपना नाम शुभम सरोज पुत्र नन्हे सरोज निवासी कैथीशंकरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बताया तथा गाडी पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम विशाल मौर्या पुत्र शिशुपाल मौर्या निवासी कटघर लालगंज थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बताया तथा बताये कि यह मोटर साइकिल हम लोगो ने मिलकर दिनांक 10.06.2024 को त्रिवेणी अस्पताल लालगंज के सामने से चुराया था तथा यह भी बताये कि हम लोगो ने दिनांक 08.5.2024 को समय करीब दो बजे के करीब कैथीशंकरपुर पुल के उपर से हीरो ग्लैमर मोटर साइकिल तथा दिनांक 25.05.2024 को रात्रि करीब 08.00 बजे से एचएफ डीलक्स मोटर साइकिल हम लोग तथा उपरोक्त साथी सत्यम गौंड व विशाल कुमार तथा हर्ष सिंह के साथ चोरी किये थे। चोरी किये उपरोक्त गाडी मेरे मित्र हर्ष सिंह व विशाल कुमार के पास है। पकडे गये अभियुक्तो यह कार्य अन्तर्गत धारा 379,411 भादवि का दण्डनीय अपराध बताते हुये मु0अ0सं0 225/2024 धारा 379,411 भादवि व मु0अ0सं0 174/2024 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 214/2024 धारा 379 भादवि मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग / आपराधिक इतिहास-

| क्र.सं. | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/2024 | 379,411 भादवि | देवगांव | आजमगढ़ |
| 2 | 174/2024 | 379 भादवि | देवगांव | आजमगढ़ |
| 3 | 214/2024 | 379 भादवि | देवगांव | आजमगढ़ |

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. शुभम सरोज पुत्र नन्हे सरोज निवासी कैथीशंकरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. विशाल मौर्या पुत्र शिशुपाल मौर्या निवासी कटघर लालगंज थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

बरामद- चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह चौकी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़
2. उ0नि0 गोपीचन्द थाना देवगांव आजमगढ़
3. हे0का0 कमलेश कुमार सिंह चौकी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़
4. हे0का0 संदीप कुमार सिंह थाना देवगांव आजमगढ़
5. का0 सोनू कुमार थाना देवगांव आजमगढ़